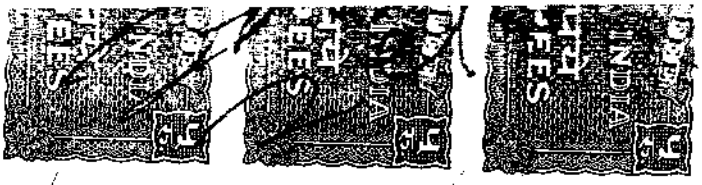

-1-

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

31

प्रकरण क्रमांक 	।९८ निगरानी

40-00 981317

1317-चार/98

क्रमांक .... श्री ... द्वारा आज दिनांक 29.6.98 को प्रस्तुत 29.6.98 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

१। जनवेद २। रामजी ३। बालमुकुन्द पुत्रगण गंगोली ४। मु० धन्ता बेवा गंगोले ५। माताद्दीन ६। लटूरी दोनों पुत्रगण तेजपाल ७। राधा-मोहन पुत्र पातीराम - मृत दिनांक १०-५-९८ वारसान (७-अ) महिला सुरमा बेवा राधामोहन (७-ब) सुरेन्द्रकुमार (७-स) राकेश पुत्रगण राधामोहन (७-द) महिला मालती देवी बेवा सुरेश पुत्र राधामोहन - सभी निवासीगण ग्राम सकराया, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, म0प्र0

-- प्रार्थीगण

विरुद्ध

१। राममहेश पुत्र रामस्वरूप
२। चतुरी ३। जोहरी दोनों पुत्रगण दिल्लीराम

सभी निवासीगण ग्राम सकराया, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, म0प्र0-- प्रतिप्रार्थीगण

29.6.98

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग दिनांक २२-४-९८ अन्तर्गत धारा ५० म0प्र0 भू राजस्व संहिता, १९५९ । प्र0क्रमांक ४९८।९६-९७ निगरानी

------ २

R 1317-चार/98

5-5-16.

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया एंव आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

2/ प्रकरण के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम सकराया स्थित कुल किता 3 कुल रकबा 2.623 हैक्टर के बटवारे हेतु आवेदकगण ने नायव तहसीलदार सुरपुरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जो प्रकरण कमांक 21/91-92 अ 27 पर पंजीबद्व होकर आदेश दिनांक 26-5-93 से बटवारा किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अटेर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 12/96-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-8-97 से अपील स्वीकार की जाकर नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त चम्बल संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी

होने पर प्रकरण कमांक 489/96-97 में पारित आदेश दिनांक 22-8-98 से निगरानी निरस्त हुई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्क दिया है कि नायव तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर दिया गया था किन्तु उन्होंने फर्द बटवारे पर आपत्ति नहीं की और जब एक वार अवसर खो दिया, पुनः अवसर देने हेतु प्रकरण रिमान्ड करना उचित नहीं है।

4/ प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक राममहेश बटवारे के समय नावालिग रहा है एंव उसके तामील पर फर्जी हस्ताक्षर कराये जाने का तथ्य है। तहसील न्यायालय से अनावेदकगण को जो सूचना पत्र जारी किये गये हैं, उनकी तिथियों में काटपीट होने के कारण पक्षकारों को न्यायदान की दृष्टि से सुनवाई का अवसर देने हेतु अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जिसके कारण अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी अटेर के आदेश दिनांक 22-8-97 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। वैसे भी विचारण न्यायालय के समक्ष उभय पक्ष को बटवारा कार्यवाही में भाग लेने एंव अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं देता है।

5/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 489/96-97 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-8-98 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य